समाचार

निगम की महिला शक्ति आई आगे, महिला कालेज के सामने से हटा अतिक्रमण

(लगातार प्रयासों के बावजूद मिनीमाता कन्या महाविद्यालय के सामने से नहीं हट पा रहा था अतिक्रमण, निगम की महिला अधिकारियों ने संभाला मोर्चा, हटाया अवैध कब्जा)

कोरबा 11 मार्च 2026 – अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए नगर निगम कोरबा की महिला अधिकारियों, इंजीनियरों ने मोर्चा संभालते हुए मिनीमाता कन्या महाविद्यालय के सामने सड़क पर काफी समय से किए जा रहे अतिक्रमण को आज हटाकर स्थल को अतिक्रमण मुक्त कराया, साथ ही अतिक्रमणकारियों को कड़ी हिदायत दी कि वे पुनः अतिक्रमण का प्रयास न करें, अन्यथा अतिक्रमण तो हटेगा ही, साथ ही अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी।

यहॉ उल्लेखनीय है कि कोरबा के घंटाघर के समीप स्थित मिनीमाता कन्या महाविद्यालय के सामने काफी समय से सड़क के किनारे ठेला, गुमठी लगाकार व बांस बल्ली कनात आदि के माध्यम

से अतिक्रमण कर कतिपय लोगों द्वारा अवैध रूप से व्यवसाय संचालित किए जा रहे थे। महिला कालेज के सामने सड़क पर व प्रवेशद्वार के अगल–बगल इस प्रकार अवैधानिक रूप से गतिविधियॉ संचालित करने से कालेज की छात्राओं, प्राध्यापकों को कालेज आने–जाने में काफी असुविधा महसूस होती थी, वहीं असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी होता था, इस संबंध में निगम को शिकायतें भी प्राप्त होती थी, निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही भी होती थी, किन्तु अतिक्रमण पुनः बरकरार हो जाता था। महिला कालेज के सामने हो रहे बार–बार इस प्रकार के अतिक्रमण के विरूद्ध आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय के निर्देश पर नगर निगम कोरबा की महिला अधिकारियों, इंजीनियरों ने आज खुद मोर्चा संभाला तथा जोन कमिश्नर श्री पवन वर्मा की उपस्थिति में जोन की महिला अधिकारी रूचि साहू , किरण साहू एवं अंजुलता तिग्गा की अगुवाई में निगम के अतिक्रमण दस्ते ने कार्यवाही करते हुए स्थल को अतिकमण से मुक्त करा दिया।

महापौर, कलेक्टर एवं आयुक्त ने निर्देशानुसार स्कूल, कालेज व शैक्षणिक संस्थान के समीप के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं करना है, अगर कोई व्यापारी बिक्री करते हुए पाया जाता है तो उसके ऊपर कोटपा (COTPA) लागू की जाएगी।

स्कूल कालेज के समीप ऐसी गतिविधिया कतई स्वीकार्य नहीं – आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने इस संबंध में कड़ा रूख अख्तियार करते हुए निगम के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि निगम क्षेत्रांतर्गत स्थित स्कूलों, कालेजों को समीप इस प्रकार की गतिविधियॉ व अतिक्रमण कर व्यवसाय का संचालन करना कतई स्वीकार्य नहीं होगा। यहॉ उल्लेखनीय है कि स्कूल, कालेज के समीप अवैध रूप से ठेला गुमठी लगाकर कतिपय लोगों व्यवसाय किया जाता है, इन ठेला, गुमठियों में तम्बाकू उत्पाद, गुटका, पान, सिगरेट आदि का विक्रय भी संभावित रहता है, साथ ही ये अवैध गुमठी, ठेले असामाजिक तत्वों के जमावड़े का अड्डा भी बनते है, जिसके कारण स्कूल, कालेज की छात्र–छात्राओं को कालेज आने जाने में अनावश्यक असुविधा होती है व अन्य असामाजिक घटनाओं की संभावना भी बनी रहती है। इसके मद्देनजर आयुक्त श्री पाण्डेय ने अधिकारियों, जोन कमिश्नरों व फील्ड स्टाफ को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे इस पर कड़ी नजर रखें तथा यह सुनिश्चित कराए कि स्कूल, कालेज के समीप इस प्रकार की गतिविधियॉ संचालित न हो तथा अवैध गुमठी ठेले आदि न लगे।